

प्रेषक,

राम केवल,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
अमरोहा, मऊ एवं एटा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 3 अक्टूबर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों/कृषकों को राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान करने व अन्य राहत कार्यों हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों/कृषकों को राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान करने व अन्य राहत कार्यों हेतु **रु0 8,14,62,761.00 (रु0 आठ करोड़ चौदह लाख बासठ हजार सात सौ इक्सठ मात्र)** की धनराशि वित्तीय 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद- 02 से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कॉलम-3 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

| क्रम सं0                                                    | जनपद का नाम | स्वीकृत की जा रही धनराशि (रु0 में) |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1                                                           | 2           | 3                                  |
| 1                                                           | अमरोहा      | 15,00,000.00                       |
| 2                                                           | मऊ          | 4,99,62,761.00                     |
| 3                                                           | एटा         | 3,00,00,000.00                     |
| योग                                                         |             | <b>8,14,62,761.00</b>              |
| <b>(रु0 आठ करोड़ चौदह लाख बासठ हजार सात सौ इक्सठ मात्र)</b> |             |                                    |

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध**

- स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का

निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

6. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
7. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
9. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रु० **8,14,62,761.00 (रु० आठ करोड़ चौदह लाख बासठ हजार सात सौ इक्कसठ मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by **भवदीय,**  
Ram Kewal  
Date: 03-10-2024 18:46:33 (राम केवल)  
विशेष सचिव।

संख्या- 1642(1)/एक-10-2024, तद्विनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
2. - सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. - आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
4. - राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. - विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
6. - वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
7. - सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
8. - वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)  
अनु सचिव।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2024-2025  
आवंटन दिनांक-04/10/2024

प्रेषण संख्या:- 1642  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1642  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय  
(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम            |                    | 42-अन्य व्यय          | योग                   |
|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | एटा-4217-जिलाधिकारी, --01--    | वर्तमान<br>प्रगामी | 30000000<br>30000000  | 30000000<br>30000000  |
| 2     | मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 49962761<br>111962761 | 49962761<br>111962761 |
| 3     | अमरोहा-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 1500000<br>1500000    | 1500000<br>1500000    |
|       | योग                            | वर्तमान<br>प्रगामी | 81462761<br>143462761 | 81462761<br>143462761 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ करोड़ चौदह लाख बासठ हजार सात सौ इकसठ  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ चौतीस लाख बासठ हजार सात सौ इकसठ

  
(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त संगठन  
उ०प्र० शासन